न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प कोर्ट मुकाम बालेसरिया

: : मूल वाद मे अंतिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी : रतनलाल रेगर

आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 45/2008 राजस्व वाद

अनवान

1 भेरू लाल आत्मज माधव लाल ब्राह्मण, निवासी बालेसरिया, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

2 कन्हैया लाल आत्मज छोगा लाल ब्राह्मण, निवासी बालेसरिया, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)

————वादीगण

बनाम

1 रामदेव आत्मज श्री हजारी बलाई, निवासी बालेसरिया, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा(राज0)

2 रायमल पुत्र प्रताप जी गुर्जर, निवासी बालेसरिया, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा(राज0)

3 राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब बनेडा जिला भीलवाडा, (राज0)

4 उप पंजीयक अधिकारी, पंजीयन कार्यालय बनेडा, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा, (राज0)

————प्रतिवादी गण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 –राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

1 श्री अरूण चन्द्र देराश्री (अधिवक्ता वादीगण)उपस्थित

2 श्री कृष्ण कुमार जीनगर (अधिवक्ता प्रतिवादीगण) 01 लगायत 02–उपस्थित

दिनांक– 18.05.2017

वाद–पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 स्वीकार किया जाकर ग्राम बालेसरिया की आ0नं0 580 रकबा 04–12 बीघा में से 0.10 बीघा भूमि कम की जाकर वादीगण की आ0नं0 581 में सम्मिलित की जाने एंव उसी प्रकार नक्शा ट्रेस में भी आराजी संख्या 580 में से 10 बिस्वा कमी कराते हुए आराजी संख्या 581 के नक्शा ट्रेस में सम्मिलित कराया जाने व उक्त आराजीयात को वादीगण के नाम खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तद्नुसार डिक्री पारित हो। इस 0.10 बीघा भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी प्रतिवादीगण नहीं करे न किसी अन्य से करावे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी हो। मुताबिक निर्णय डिक्री प्रदत्त की जाती है। तद्नुसार पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को आदेशित किया जाता है।

आज दिनांक 18.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बालेसरिया में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

प्रकरण संख्या 45/2008

अनवान

1 भेरू लाल आत्मज माधव लाल ब्राह्मण, निवासी बालेसरिया, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2 कन्हैया लाल आत्मज छोगा लाल ब्राह्मण, निवासी बालेसरिया, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)

————————वादीगण

बनाम

1 रामदेव आत्मज श्री हजारी बलाई, निवासी बालेसरिया, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा(राज0)
2 रायमल पुत्र प्रताप जी गुर्जर, निवासी बालेसरिया, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा(राज0)
3 राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब बनेडा जिला भीलवाडा, (राज0)
4 उप पंजीयक अधिकारी, पंजीयन कार्यालय बनेडा, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा, (राज0)

————————प्रतिवादी गण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 –राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –
1 श्री अरूण चन्द्र देराश्री (अधिवक्ता वादीगण)उपस्थित
2 श्री कृष्ण कुमार जीनगर (अधिवक्ता प्रतिवादीगण) 01 लगायत 02–उपस्थित

निर्णय

दिनांक – 18.05.2017

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद पत्र खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं स्थाई निषेद्याज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती बाबत वाद प्रस्तुत किया। जो कि ग्राम बालेसरिया तहसील बनेडा के बेरून हल्के में स्थित है। साबिक आराजी नं. 362 रकबा 03.07 बीघा एवं आ0नं0 363 रकबा 03.01 बिस्वा सम्वत् 2022 से 2025 की जमाबंदी में वादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या02 के पिता के नाम पर दर्ज रेकार्ड रही है जिसके नवीन आराजी नं0 581 रकबा 04.06 बीघा आ0नं0 583 रकबा 0.13 बीघा कायम हुए जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज है।

यह है कि इस आराजियात पर वादीगण काबिज होकर उपयोग करते चले आ रहे है। आ0 नं0 581 के पास आ0 नं0 580 जो कि साबिक रेकार्ड में बिलानाम सरकार भूमि दर्ज थी जो बाद भू–प्रबंध की कार्यवाही आ0 नं0 580 रकबा 04.12 बीघा कायम किया गया जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है लेकिन वर्तमान में मौके पर प्रतिवादी संख्या 02 काबिज होकर काश्त कर रहा है। किन्तु यह आराजी हगामी बेवा श्रीराम बलाई को आवंटन हुई बाद खातेदारी अधिकारों के इसने विक्रय कर दी आराजियात पर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 02 के द्वारा ही उपयोग एवं उपभोग किया जा रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 द्वारा वादीगण की आराजी नं0 581 में से 0.10 बीघा भूमि में से अधिक भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम आराजी नं. 580 में मिलाकर नक्शे में सम्मिलित कर लिया है। वादीगण साबिक आराजी नं0 363 के पास साबिक रेकार्ड के नक्शे में एक पाल 364 नं. से दर्शाई गई थी जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान में नक्शे में कोई पाल नही दर्शाई गई है। जिससे स्पष्ट है कि भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान वादीगण का रकबा कम दर्ज किया गया है।

यह है कि साबिक समय में ग्राम बालेसरिया में प्रचलित जरीब 152.1/2 फीट की प्रचलित थी वर्तमान में जरीब 165 फीट की प्रचलित है। साबिक समय में प्रचलित जरीब व वर्तमान समय में प्रचलित जरीब के कारण प्रति बीघा 0.03 बीघा जमीन कम दर्ज होती है। वर्तमान में वादीगण के नाम 04.19 बीघा भूमि दर्ज की है जब कि 05.09 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड होना चाहिए। जब कि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज जमीन आ0 नं0 580 बिलानाम सरकार दर्ज रही है उसमें वादीगण की 0.10 बीघा भूमि मिलाते हुए हगामी बेवा श्रीराम बलाई को गैर खातेदारी हक से आवंटन की गई है। उसमें से 0.10 बीघा भूमि कम कराते हुए वादीगण के खाते में पुनः दर्ज कराने की इस्तदुआ की है। आ0नं0 580 रकबा 05.12 बीघा है उसमें 0.10 बीघा भूमि वादीगण के नाम दर्ज कराने के आदेश दिलाया जावें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सूचना दिलाई गई। प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार जीनगर द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया एवं जवाब प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र को अस्वीकार किया गया एवं अपने तथ्य में यह अंकित किया कि आराजी नं0 580 साबिक आ0 नं0 372 से बनना बताया और उचित प्रतिफल देकर हगामी बेवा श्रीराम बलाई से जजिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त करना बताया। अंत में वादी का वादपत्र खारिज करने की इस्तदुआ की गई।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से प्रस्तुत जवाब के आधार पर दिनांक 21.10.2008 को निम्न तनकियात कायम की गईः–

1. आया ग्राम बालेसरिया तहसील बनेडा में स्थित वाद पत्र की कलम नं. 1 में अंकित आराजियात साबिक रेकार्ड के मुकाबले वर्तमान में वादीगण 10 बिस्वा भूमि कम दर्ज होने से पुनः अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है? ———वादीगण

2. आया आराजी नं. 580 में से 10 बिस्वा कमी कराते हुए आराजी नं. 581 के नक्शा ट्रेस में सम्मिलित कराते हुए वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है? ———वादीगण

3. आया प्रतिवादीगण विवादित आराजियात से वादीगण को बेदखल करने विक्रय करने तथा हस्तान्तरण करने पर आमदा होने से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? ———वादीगण

4. आया विवादित आराजियात के साबिक नम्बर से हाल नम्बर गलत होने तथा प्रतिवादीगण को आवंटन होने से वादीगण का वाद पत्र खारीज होने योग्य है? ———प्रतिवादीगण

5. आया वादीगण का वाद मियाद बाहर होने से खारीज होने योग्य है? ———प्रतिवादीगण

6. आया प्रतिवादी की आराजी में वादीगण का 10 बिस्वा रकबा शामिल नहीं होने से वाद पत्र खारीज होने योग्य है? ———प्रतिवादीगण

7. दादरसी क्या होगी।

साक्ष्य वादी में वादी भैरू लाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो पी डब्ल्यू–1 है एवं अन्य साक्ष्य के रूप में लादू पिता हणुता जाट और गोपाल पुत्र छोगा जाट के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। वादी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर जिरह के दौरान प्रदर्श 01 लगायत 11 दस्तावेज प्रदर्श करवाये एवं प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–1 साबिक जमाबंदी में दर्ज साबिक आराजी नं. 363, 369 एवं नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2 जिसमे साबिक आ0 नं. व उससे लगी हुई साबिक पाल दर्शाई हुई है। प्रदर्श–3 मिलान–खसरा विवादित आराजियात का प्रस्तुत हुआ है। प्रदर्श–4 साबिक जमाबंदी जिसमे विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या–1 को बेचने वाली हगामी बेवा श्रीराम बलाई के नाम गैर खातेदारी से दर्ज रही है। प्रदश–5 वर्तमान नक्शा ट्रेस पटवारी हल्का द्वारा जारी शुदा है। इस प्रकार समस्त प्रदर्श दस्तावेजात एवं साक्ष्य वादी में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं साक्ष्य से वादी का वादपत्र एवं वादी के जिम्मे दर्शाई गई समस्त तनकियात वादी साबित करने में सफल रहा है। मिलान खसरा में आराजी नं0 580 रकबा 05.02 बीघा में से 0.10 बीघा भूमि वर्तमान खाते में से कम करते हुए वादीगण के नाम उक्त 0.10 बीघा भूमि की घोषणा किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं इसी प्रकार नक्शे में तरमीम कराते हुए आराजी नं. 580 में से 0.10 बीघा भूमि आ0नं0 581 में मिलाया जावें एवं उक्त रकबा 0.10 बीघा भूमि बाबत स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादी सं0 01 व 02 के विरूद्व पारित किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में शपथ पत्र रायमल एवं रामदेव प्रस्तुत हुए लेकिन उक्त दोनो गवाह से समुचित रूप से जिरह नहीं करवाई गई। जिरह के लिए उपस्थित नहीं रखने से शहादत वादी समाप्त की जाकर पत्रावली बहस में ली गई। बहस से पूर्व दिनांक 18.10.16 को तहसीलदार, बनेडा के माध्यम से मौका रिपोर्ट विवादित आराजियात बाबत मंगवाई गई। तहसीलदार, बनेडा की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि वादीगण का वादीगण की आराजी नं0 581 की पूर्व दिशा की भूमि पर प्रतिवादीगण ने अवैध कब्जा कर आराजी नं. 580 में मिला रखा है। इस प्रकार वादीगण की 0.10 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के कब्जे से हटाकर वादीगण को सिपूर्द करने की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 जारी करना उचित समझता हूँ।

आदेश

वाद–पत्र बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 स्वीकार किया जाकर ग्राम बालेसरिया की आ0नं0 580 रकबा 04–12 बीघा में से 0.10 बीघा भूमि कम की जाकर वादीगण की आ0नं0 581 में सम्मिलित की जाने एंव उसी प्रकार नक्शा ट्रेस में भी आराजी संख्या 580 में से 10 बिस्वा कमी कराते हुए आराजी संख्या 581 के नक्शा ट्रेस में सम्मिलित कराया जाने व उक्त आराजीयात को वादीगण के नाम खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तद्नुसार डिक्री पारित हो। इस 0.10 बीघा भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी हो। तद्नुसार पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो। मुताबिक निर्णय डिक्री पारित हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 18.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बालेसरिया में सरे ईजलास सुनाया गया।